

नविवारक नरिोध पर सरवोच्च न्यायालय का नरिणय

प्रलिमिंस के लयि:

नविवारक नरिोध, सरवोच्च न्यायालय

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिोध से संबंघति मुददे

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [सरवोच्च न्यायालय](#) (SC) ने फैसला सुनाया कि एक [नविवारक नरिोध](#) आदेश केवल तभी पारति कयिा जा सकता है जब बंदी के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो ।

- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और अन्य अदालतों को नविवारक नज़रबंदी के तहत नज़रबंदी से नपिटने के लयि भी नरिदेश दयिा ।

प्रमुख बदिु:

- सार्वजनिक व्यवस्था के लयि नविवारक नरिोध:** अदालत ने माना कि यह वविादति नहीं हो सकता है कि डिटिनू एक 'सफेदपोश अपराधी' हो सकता है और यदुि उसे मुक्त कर दयिा जाता है, तो भोले-भाले व्यक्तियों को धोखा देना जारी रखेगा ।
 - हालाँकि नविवारक नरिोध आदेश केवल तभी पारति कयिा जा सकता है जब उसकी गतविधियिँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावति करने की संभावना है ।
- 'सार्वजनिक आदेश' शबद पर स्पष्टता:** नविवारक नरिोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लयि एक आवश्यक बुराई है, लेकनि नविवारक नरिोध कानून के संदर्भ में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति में इसे अभवियक्ता से जोडकर उदार अर्थ में नहीं लयिा जा सकता है ।
 - कानून का उल्लंघन, जैसे- धोखाधडी या आपराधिक वशिवासघात में शामिल होना, नशिचति रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावति करता है ।
 - हालाँकि जब यह समुदाय या जनता को बडे पैमाने पर प्रभावति करता है तभी इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावति करना कहा जा सकता है ।
- सरकार को नरिदेश:** राज्य को उन सभी एवं वविधि "कानून और व्यवस्था" संबंघी समस्याओं से नपिटने के लयि मनमाने ढंग से "नविवारक नरिोध" का सहारा नहीं लेना चाहयि, जनिसे देश के सामान्य कानूनों द्वारा नपिटा जा सकता है ।
- न्यायालयों को नरिदेश:** नविवारक नरिोध के तहत वैधता तय करने हेतु अदालतों से प्रश्न पूछा जाना चाहयि:
 - क्या देश का सामान्य कानून स्थिति से नपिटने के लयि पर्याप्त था? यदुि उत्तर सकारात्मक है, तो नरिोध आदेश अवैध होगा ।
 - उदाहरण के लयि सडक पर लड रहे दो शराबियों के मामले में अदालत कहती है कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या थी, न कि 'सार्वजनिक अव्यवस्था' का तो यहाँ समाधान नविवारक नरिोध नहीं है ।
- नविवारक नरिोध स्वतंत्रता को कमजोर करता है:** एक नागरिक की स्वतंत्रता उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार है जिसे हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से ऐतिहासिक और कठनि संघर्षों के बाद जीता है ।
 - यदुि नविवारक नरिोध की शक्ति को एक सीमा तक सीमति नहीं कयिा जाता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार नरिर्थक हो जायगा यानी उसका कोई मूल्य या महत्त्व नहीं रह जायगा ।
 - इसलयि नविवारक नरिोध अनुच्छेद 21 (कानून की उचति प्रकरयिा) के दायरे में आना चाहयि और इसे अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गरिफ्तारी और नरिोध के खलिाफ सुरक्षा) तथा वचिराधीन कानून के साथ पढा जाना चाहयि ।

व्हाइट कॉलर क्राइम बनाम ब्लू कॉलर क्राइम

- व्हाइट कॉलर क्राइम:** यह व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी पेशेवरों द्वारा आर्थिक रूप से प्रेरति अहसिक अपराध को दर्शाता है ।
 - इन अपराधों में छल और वशिवास का उल्लंघन प्रमुख है ।

- व्हाइट कॉलर क्राइम के उदाहरणों में प्रतभूता धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, परिमडि योजनाएँ आदि शामिल हैं।
- इस प्रकार के अपराधों को शक्ति और संपन्न लोगों से जोड़कर देखा जाता है।
- यह शब्द पहली बार वर्ष 1949 में समाजशास्त्री एडवनि सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- **ब्लू कॉलर क्राइम:** ये अपराध मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर होते हैं, जसिमें शामिल व्यक्तिया समूह को तत्काल लाभ होता है।
 - इसमें व्यक्तिगत अपराध भी शामिल हो सकते हैं जो तत्काल प्रतिक्रिया से प्रेरित हो सकते हैं, जैसे कझिगड़े या टकराव आदि।
 - इन अपराधों में नारकोटिक उत्पादन या वतिरण, यौन हमला, चोरी, सेंधमारी, हत्या आदि को शामिल किया जा सकता है।

नविरक नरीध

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 22** गरिफ्तार या हरिसत (नरीध) में लयि गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। नरीध दो प्रकार का होता है- दंडात्मक और नविरक।
 - दंडात्मक नरीध का आशय कसिी व्यक्ती को उसके द्वारा कयि गए अपराध के लयि अदालत में मुकदमे और दोषसदिधि के बाद दंडति करने से है।
 - वही दूसरी ओर, नविरक नरीध का अर्थ कसिी व्यक्ती को बना कसिी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसदिधि के हरिसत में लेने से है।
- अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधति है और दूसरा भाग नविरक नरीध कानून के मामलों से संबंधति है।

दंडात्मक नरीध के तहत दयि गए अधिकार	नविरक नरीध के तहत दयि गए अधिकार
<ul style="list-style-type: none"> ■ गरिफ्तारी के आधार के बारे में सूचति करने का अधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कसिी व्यक्तीकी नज़रबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड वसितारति नज़रबंदी हेतु परयाप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है। ■ बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ■ एक कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ नज़रबंदी के आधारों के बारे में नज़रबंद व्यक्तीको सूचति कयि जाना चाहयि। ■ तथापि नहति के वरिद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
<ul style="list-style-type: none"> ■ यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजसिट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंदी को नरीध आदेश के वरिद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दयि जाना चाहयि।
<ul style="list-style-type: none"> ■ 24 घंटे के बाद रहि होने का अधिकार जब तक कि मजसिट्रेट आगे की हरिसत के लयि अधिकृत नहीं करता। 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ये सुरक्षा उपाय कसिी वदिशी शत्रु के लयि उपलब्ध नहीं हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ बाह्य व्यक्तीदोनों के लयि उपलब्ध है।

नोट: वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधनियिम ने एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त कयि बना नज़रबंदी की अवधि को तीन से घटाकर दो महीने कर दयि है। हालाँकि यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं कयि गया है, इसलयि तीन महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है।

संसद द्वारा बनाए गए नविरक नरीध कानून हैं:

- नविरक नरीध अधनियिम, 1950 जो वर्ष 1969 में समाप्त हो गया।
- आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधनियिम (मीसा), 1971, इसे वर्ष 1978 में नरिस्त कयि गया।
- वदिशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधनियिम (COFEPOSA), 1974.
- [राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियिम \(एनएसए\), 1980](#)
- कालाबाज़ारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति का रखरखाव अधनियिम (PBMSECA), 1980.
- [आतंकवादी और वधिदनकारी गतिविधियों \(रोकथाम\) अधनियिम \(टाडा\), 1985](#), वर्ष 1995 में नरिस्त कयि गया।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (PITNDPSA), 1988 में अवैध यातायात की रोकथाम।
- [आतंकवाद नरीधक अधनियिम \(पोटा\), 2002](#) को वर्ष 2004 में नरिस्त कयि गया।

भारत में नविरक नरीध कानूनों से संबंधति मुद्दे:

- दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने नवोदय नरिध को संवधान के अभिन्न अंग के रूप में नहीं अपनाया है जैसा कि भारत में किया गया है ।
- सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयोग एक अतिरिक्त न्यायिक शक्ति के रूप में करती हैं । साथ ही इससे मनमानी गरिफ्तारी का भी भय बना रहता है ।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-judgement-on-preventive-detention>

